प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेवल नोडल एजेंसी
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्याक्ष
वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर
(जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं शामली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 626 /एसएलडीसी–248/2016–17 लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः–समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड डेवलपमेंट काम्पोनेंट (PMKSY-WDC) के अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वित करने के लिये वाटरशेड विकास दल (WDT) की तकनीकी सहायता से वाटरशेड समिति (WC) के गठन करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–156/54–1–2011/1(05)/2010 दिनांक 07.02.2011 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिये वाटरशेड विकास दल (WDT) की तकनीकी सहायता से वाटरशेड समिति (WC) के गठन करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे।

परियोजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में समय–समय पर होने वाली विभागीय समीक्षा बैठकों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि परियोजना कार्य अवधि में भारत सरकार से मांग के अनुसार धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित वाटरशेड कमेटी के सचिवों को प्रशासनिक मद से प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा मानदेय की धनराशि का दायित्व बढ़ रहा है।

सम्यक् विचारोपरान्त उक्त के निराकरण के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः–

1. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के सर्वेक्षण/नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु निर्धारित हाइड्रोलॉजिकल यूनिट माइक्रोवाटरशेड है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 500 हैक्टेअर से 1000 हेक्टेअर निर्धारित है। अतएव वाटरशेड समिति में डब्ल्यूसी के सचिव को माइक्रोवाटरशेड स्तर पर रखा जाये तथा माइक्रोवाटरशेड में पड़ने वाली समस्त वाटरशेड कमेटी में सचिव के निर्धारित कार्यों एवं दायित्व का निर्वहन उनके द्वारा किया जाये।
2. सचिव को नामित करते समय ही यह स्पष्ट कर दिया जाये कि परियोजना मद में धनराशि उपलब्ध होने एवं कार्य में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होने की स्थिति में ही कार्य अवधि के मानदेय का ही भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कार्य करने की सहमति प्रदान करने वाले को ही वाटरशेड कमेटी का सचिव नामित किया जाये तथा वर्तमान में डब्ल्यूसी के नामित सचिवों को उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुये उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाये।

शासनादेश संख्या–156/54–1–2011/1(05)/2010 दिनांक 07.02.2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय

(जे0बी0 सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक– /एसएलडीसी–248/2016–17 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश परियोजना/प्राधिकारी, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्ल्यूसीडीसी, (जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं शामली को छोड़कर) उ0प्र0।
3. संयुक्त निदेशक, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, गोमती नगर, लखनऊ।
4. समस्त उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
6. प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, गोमती नगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(जे0बी0 सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी